*अनुबंध - 5*

# भारत सरकार के ऋण की स्थिति

वर्ष 2011-2012 के अंत में भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2010-2011 (सं.अ.) के अंत की 39,30,804.75 करोड़ रुपए की तुलना में, 43,52,389.04 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

*(करोड़ रुपए)*

| | 31 मार्च, 2011 को | 31 मार्च, 2012 को |
|---|---|---|
| आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां | 37,74,457.78 | 41,81,542.07 |
| *जिसमें बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत* | ... | *20,000.00* |
| विदेशी ऋण | 1,56,346.97 | 1,70,846.97 |
| **जोड़** | 39,30,804.75 | 43,52,389.04 |

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए जाने वाले ऋण, रिजर्व बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य पार्टियों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियां के जरिए उधार तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि, अफ्रीकी विकास निधि/बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2006-07 से लेकर वर्ष 2009-10 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में तथा 2010-11 और 2011-2012 के अंत तक की सरकारी कर्जों की अनुमानित बकाया रकमों का विश्लेषण नीचे **देनदारी विवरण** में दिया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अप्रैल 2004 से बाजार स्थिरीकरण योजना शुरु की है। इस योजना में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अन्तर्प्रवाहों से मुख्यतः उत्पन्न अतिरिक्त नकदी को आत्मसात करने के लिए राजकोषीय हुंडियों और/या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने की संकल्पना की गई है। केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 2011-12 के दौरान किसी एक समय में बकाया देनदारियों की उच्चतम सीमा 50,000 करोड़ रुपए कर दी गई है (दिनांकित प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य सह राजकोषीय हुंडियों का बट्टागत मूल्य)। तथापि ब.अ. 2011-12 में वर्ष के लिए निवल निर्गम 20,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत बाजार ऋणों, 91/182/364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों से संबंधित अनुमानित बकाया देनदारियों को देनदारी विवरण में अलग-अलग दर्शाया जाता है। बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित एक और समझौता ज्ञापन भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सहमति से एमएसएस नकद खाते की जमाराशि के एक हिस्से का अंतरण सरकार का अनुमोदित व्यय पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधारीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सामान्य नकद खाते में करने हेतु समर्थ बनाता है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती है जैसाकि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न अल्प बचत योजनाओं, भविष्य निधियों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यह्रास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों, स्थानीय निधियों की जमा राशि और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा भी देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2009-10 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गांरटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

**परिसम्पत्तियों के विवरण** में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में ह्रास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है, शामिल नहीं हैं।

बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत उधारों से प्राप्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक अलग व पहचान योग्य खाते में नकद शेष के रूप में रखा जा रहा है। ये प्राप्तियां बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत जारी राजकोषीय हुंडियों/दिनांकित प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी के अतिरिक्त सरकार के कोई अन्य खर्च पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तद्नुसार, एमएसएस के अंतर्गत अनुमानित नकद शेष को परिसंपत्तियों के विवरण में अलग से दर्शाया गया है।